

कार्यालय अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तरकाशी /
मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
विज्ञप्ति

विकसित भारत-जी राम जी के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु लोकपाल की नियुक्ति शासन स्तर से की जानी है, जिसके लिये जनपद स्तर पर अर्ह अभ्यर्थियों की सूची बायोडाटा सहित शासन को प्रेषित किया जाना विचाराधीन है।
लोकपाल की नियुक्ति हेतु मुख्य अर्हता निम्न प्रकार है।

1. इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्षों का लोक प्रशासन, विधि, शिक्षा, समाज सेवा अथवा प्रबन्धन के कार्यों का अनुभव होना चाहिए। लोकपाल पद हेतु लोक अथवा सामुदायिक संगठन के साथ कार्य करने के अनुभव की अर्हता अनिवार्य है।
2. आयु 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. राजनीतिक पार्टी एवं प्रतिबन्धित संगठन का कोई भी सदस्य पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को इस आशय की घोषणा संलग्न करनी होगी।
4. शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
5. उक्त पद का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। (चयन की तिथि से 2 वर्ष अथवा 68 वर्ष जो भी पहले हो) एक-एक वर्ष हेतु दो बार कार्यकाल कार्य निष्पादन प्रक्रिया के आधार पर अथवा 68 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।
6. पुर्ननियुक्ति नहीं होगी।
7. राज्य सरकार लोकपाल को असंतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर हटा सकती है।
8. पारिश्रमिक प्रति बैठक 2250.00 रु० है, जो कि माह में अधिकतम 45000.00 रु० की सीमा के अन्तर्गत देय होगी।

अधिक जानकारी के लिये कार्य दिवसों में विकास भवन के मनरेगा सेल के कक्ष सं० 216 में सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडाटा निम्न निर्धारित प्रारूप पर सभी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति सहित पंजीकृत डाक द्वारा विलम्बतः दिनांक 28 अक्टूबर 2026 सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे, तदपश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Model application from

1- Personal Information

- Name:
- Age (as on) (attach date of birth certificate):
- Address for correspondence:
- Permanent address (attach proof of residence)
- Are you medically (physically & mentally) fit to conduct field visits? (attach a medical fitness certificate):
- Whether member of a political party? (attach a personal affidavit certified by a notary public)
- Whether convicted/chargesheeted in a criminal case? (attach a personal declaration certified by a notary public)
- Do you have responsibility of Implementing MGNREGA in any capacity?

2- Professional Information

- Highest educational qualification (attached copy of certificates attested by a gazette officer):
- Total no. of years of work experience (attached copy of certificates attested by a gazette officer):
- Field of experience:
- Last post/ position held, if any:
- Member of any society/ professional body, if any (give details):

3- Declaration:

It is certified that above information furnished by me are correct. I have gone through the advertisement and the instructions on Ombudsman " issued by the Govt. of india and understand that this is a part time work and all function are to be carried out within the purview and confines of the MGNREG Act, Rules and Schemes framed there under and operational guidelines issued by Govt. of india from time to time.

Place:

Signature of applicant:

Date:

Name of the applicant:


मुख्य विकास अधिकारी, /
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तरकाशी।

कार्यालय अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तरकाशी।

पत्रांक 196 /वीबी-जी राम जी/2026-27/दिनांक 30 सितम्बर 2026।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को विज्ञापन के रूप में केवल दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के अगले संस्करण में न्यूनतम शासकीय दर प्रकाशित करवाते हुये बिल सत्यापन उपरान्त इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

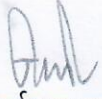
2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को जनपद की बेवसाइड में अपडेट करना सुनिश्चित करें।

3- जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

4- समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

5- समस्त उपजिलाधिकारी को प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

6- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तरकाशी।